

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082020-220952
CG-DL-E-07082020-220952

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2294]
No. 2294]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

का. आ. 2590(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3951 (अ) दिनांक 25 अक्तूबर, 2019, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 में प्रकाशित अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित शुद्धीया करती है।

ए) अधिसूचना के हिन्दी संस्करण में पृष्ठ संख्या 103 पर कोलम 1 और अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण में पृष्ठ संख्या 113 पर कोलम 1 में मंडल का नाम “हयाथनगर” को विलोपित किया जाता है तथ उसके स्थान पर मंडल का नाम “अब्दुल्लापूरमेट” पढ़ा जायें।

[फा.सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-1/ई-31417]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

CORRIGENDUMNew Delhi, the 29th July, 2020

S.O.2590(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following Corrigendum in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published vide S.O. No. 3951(E) Dated 25th October, 2019, published in the Extraordinary Gazette of India Dated 31st October, 2019, as under.

In the Said Notification at

- a) In Hindi Notification Page No.103 and In English Notification Page No.113 the mandal name “Hayathnagar” to be deleted and it should be replaced as mandal name “Abdullapurmet”.

[F.No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P.SOMA KUMAR, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

का. आ. 2591(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3951 (अ) दिनांक 25 अक्तूबर, 2019, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 में प्रकाशित अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित शुद्धीया करती है।

अ) अधिसूचना के हिन्दी संस्करण में पृष्ठ संख्या 96 और अंग्रेजी संस्करण में पृष्ठ संख्या 106 में गाँव 4. एक्लासम्पेट को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर 4.एक्लासखानपेट में बदल दिया जाए।

[फा.सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

CORRIGENDUMNew Delhi, the 29th July, 2020

S.O.2591(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following Corrigendum in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published vide S.O. No. 3951(E) Dated 25th October, 2019, published in the Extraordinary Gazette of India Dated 31st October, 2019, as under.

In the Said Notification at

- a) In Hindi Notification Page No.96 and in English Notification Page No.106 the 4.Ekhasampet village name to be removed and it should be replaced as 4.Eklaskhanpet village.

[F.No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P.SOMA KUMAR, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

का. आ. 2592(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3951 (अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2019, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 में प्रकाशित अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित शुद्धीया करती है।

ए) अधिसूचना के हिन्दी संस्करण में पृष्ठ संख्या 103 पर कोलम 1 और अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण में पृष्ठ संख्या 113 पर कोलम 1 में मंडल का नाम घटकेसर और जिल्ला का नाम “रंगारेड्डी” को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर मंडल का नाम घटकेसर और जिल्ला का नाम “मेडचल-मल्काजिगिरी” पढ़ा जायें।

[फा.सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-1/ई-31417]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव,

CORRIGENDUMNew Delhi, the 29th July, 2020

S.O.2592(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following Corrigendum in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published vide S.O. No. 3951(E) Dated 25th October, 2019, published in the Extraordinary Gazette of India Dated 31st October, 2019, as under.

In the Said Notification at

- a) In Hindi Notification Page No.103 and In English Notification Page No.113 the mandal name noted Ghatkesar and district name “Rangareddy” to be deleted and it should be replaced as mandal name Ghatkesar and district name “Medchal Malkajigiri.

[F.No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P.SOMA KUMAR, Under Secy.